झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या–परि०वि०–145/2007(पार्ट) 630 /राँची, दिनांक–20.06.2019

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–111 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि:–**

   (i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम–252 के उप नियम–252(घ), 252(छ), 252(ज) एवं 252(ञ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

   (i) **नियम 252 का उप नियम 252 (घ)–** प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रपत्र ए.पी.टी.सी. में प्राधिकरण प्राधिकारी को आवेदन दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकरण एवं एतद् संबंधी अन्य स्वीकृति के लिये निम्न शुल्क का भुगतान किया जाएगा–

(क)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस।	10000.00 रू०
(ख)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिए फीस।	10000.00 रू०
(ग)	नियम–252 ठ के उप–नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए फीस।	1000.00 रू०
(घ)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन हेतु आवेदन फीस।	5000.00 रू०
(ङ.)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण (वैद्य उत्तराधिकारी के बीच) हेतु फीस।	3000.00 रू०

D:\Notification\Pollution_Cont\New Amendment Rule.docx

(ii) नियम 252 का उप नियम 252 (छ) – स्वीकृत या नवीकृत प्राधिकार पत्र स्वीकृति या नवीकरण की तिथि से 03 (तीन) वर्ष के लिए वैद्य होगा।

(iii) नियम 252 का उप नियम 252 (ज) – प्राधिकरण पत्र के नवीकरण हेतु इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन देना होगा। विलंबित आवेदन के लिए आवेदक को विलम्ब का कारण देना होगा और विलम्ब अवधि के लिए दंड के रूप में निम्न शुल्क देय होगा–

क्र०सं०	अवधि	विलम्ब फीस
(क)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के पूर्व	00/–
(ख)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर	1000/–
(ग)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति के पश्चात	1000/– एवं प्रत्येक माह व अंश के लिए 500/–प्रतिमाह

(iv) **नियम 252 का उप नियम 252 (ञ)–** प्राधिकृत जाँच केन्द्र के द्वारा की गयी जाँच एवं निर्गत प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए निम्न शुल्क जाँच केन्द्र द्वारा ली जाएगी–

क्र०सं०	वाहनों का प्रकार	अवधारित फीस	अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि
1.	दुपहिया वाहन	50.00 रू०	20.00 रू०
2.	तीन पहिया वाहन	80.00 रू०	30.00 रू०
3.	चार पहिया वाहन	120.00 रू०	40.00 रू०
4.	मध्यम वाहन	200.00 रू०	80.00 रू०
5.	भारी वाहन	300.00 रू०	100.00 रू०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ।

20/6/19

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०–145/2007(पार्ट) 631 /राँची, दिनांक–20.06.2019

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

20/6/19

सचिव

परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०–145 / 2007(पार्ट) 631 / राँची, दिनांक–20.06.2019

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / झारखण्ड राज्य के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०–145 / 2007(पार्ट) 631 / राँची, दिनांक–20.06.2019

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव / संयुक्त परिवहन आयुक्त / उप सचिव, परिवहन विभाग / सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड / सभी यातायात पुलिस अधीक्षक (यातायात प्रभारी), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०–145 / 2007(पार्ट) 631 / राँची, दिनांक–20.06.2019

प्रतिलिपि–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, झारखण्ड, राँची / श्री अमर कुमार सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० / पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पी०एम०यू० कोषांग को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सचिव
परिवहन विभाग